



तृतीय पक्ष प्रयोगशाला के माध्यम से ऊर्जा मीटर का परीक्षण

जन सामान्य जागरूकता के लिए यह सूचित किया जाता है कि आयोग ने लोक शिकायत प्रकोष्ठ, ऊर्जा विभाग, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार, हेतु सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी.पी.आर.आई) को स्वतंत्र तृतीय पक्ष मीटर टेस्टिंग लैब के रूप में अधिसूचित किया है जिसका विवरण इस प्रकार है :

1. उपभोक्ता, लोक शिकायत प्रकोष्ठ (PGC) के अंतर्गत सी.पी.आर.आई. द्वारा, मीटर स्थापित स्थल पर, मीटर परीक्षण की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
2. लोक शिकायत प्रकोष्ठ से संपर्क हेतु विवरण निम्नवत है:
लोक शिकायत प्रकोष्ठ, ऊर्जा विभाग,
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार
33 के.वी. SLDC भवन, नज़दीक सिविक सेंटर,
मिंटो रोड – टैगोर रोड, नई दिल्ली – 110002
वेबसाइट – www.bijlipgr.gov.in
टेलीफोन: 1800 11 2222, 23230593, 23236596, 23234028
फैक्स: 23234742
3. अपने मीटर के परीक्षण हेतु इच्छुक उपभोक्ता "दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, नई दिल्ली" के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अपेक्षित शुल्क के साथ लोक शिकायत प्रकोष्ठ में आवेदन फाइल कर सकता है।
4. विभिन्न प्रकार के मीटर के परीक्षण के लिए लोक शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा सूचित लागू शुल्क निम्न प्रकार हैं:

₹ i. एकल चरण मीटर : रुपये 200/- प्रति मीटर
ii. तीन चरण मीटर : रुपये 500/- प्रति मीटर

5. मीटर परीक्षण के सभी मामलों में सी.पी.आर.आई. द्वारा दिए गए मीटर परीक्षण के परिणाम अंतिम तथा दोनों पक्षों (उपभोक्ता एवं वितरण कंपनियां) पर बाध्य होंगे।
6. दोषपूर्ण मीटर को बदलने की जिम्मेदारी वितरण कंपनियों की, अपने खर्च पर होगी।
7. वितरण कंपनियां, निम्न परिस्थितियों के तहत, मीटर के परीक्षण हेतु उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए शुल्क को अगले बिजली बिल में समायोजन हेतु बाध्य होंगी :
i. उपभोक्ता के मीटर परीक्षण अनुरोध पर, सी.पी.आर.आई. परीक्षण पर "दोषपूर्ण मीटर" घोषित किया गया हो।
ii. वितरण कंपनियों द्वारा परीक्षण पर मीटर, "दोषपूर्ण" पाया गया परन्तु सी.पी.आर.आई. द्वारा परीक्षण पर मीटर "सही" घोषित किया गया हो।
iii. वितरण कंपनियों द्वारा परीक्षण पर मीटर, "सही" पाया गया परन्तु सी.पी.आर.आई. द्वारा परीक्षण पर मीटर "दोषपूर्ण" घोषित किया गया हो।



दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

विनियामक भवन, सी-ब्लॉक, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली- 110017

टेलीफैक्स: 011-26682147, वेबसाइट: www.derc.gov.in

जनहित में जारी